

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता
1.	1591 / 2023	मनीषा देवी	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु, जिला चूरु। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ, जिला चूरु। चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलखनीया बाडा, जिला चूरु। 	श्री कोमल गिरी
2.	1592 / 2023	बबलेश पुनिया	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, जिला चूरु। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ, जिला चूरु। 	
3.	1593 / 2023	कमला देवी	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु, जिला चूरु। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ, जिला चूरु। 	
4.	1594 / 2023	कमला देवी	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु, जिला चूरु। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ, जिला चूरु। चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदगोठी, राजगढ, जिला चूरु। 	
5.	1597 / 2023	कमलेश कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु, जिला चूरु। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, जिला चूरु। 	
6.	1603 / 2023	पीयूष शर्मा	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, उप जिला चिकित्सालय, चौमू। श्रीमती उर्मिला लाम्बा, नैत्र सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमू, जयपुर। 	श्री सुरेन्द्र सिंह

7.	1605/2023	सुनीता	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू। 	श्री कोमल गिरी
8.	1606/2023	पूनम बाई	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू। 	श्री कोमल गिरी
9.	1609/2023	पुष्पा देवी	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू। 	श्री कोमल गिरी
10.	1610/2023	शकुंतला	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, जिला चूरु। 	श्री कोमल गिरी
11.	1622/2023	कविता कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू। 	श्री हीरालाल गोठवाल
12.	1624/2023	सुशीला देवी	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, जिला झुन्झुनू। 	श्री हीरालाल गोठवाल
13.	1639/2023	रेखा कंवर	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. अति. सचिव (प्रशा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, जिला चूरु। 5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं चिकित्सा अधिकारी, चूरु। 	श्री सुखराज सिंह राठौड
14.	1645/2023	श्रीमती कमलेश सामरिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रमुख शासन सचिवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवाल, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं 	श्री सुधीर गुप्ता

			3. स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशालय, जहाजपुर। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर, भीलवाडा।	
15.	1647/2023	सविता शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सह पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भतरपुर। 4. बीसीएमओ., बयाना, जिला भरतपुर। 5. प्रभारी, पीएचसी, सिंघाडा, बयाना, भतरपुर।	श्री अशोक बंसल
16.	1648/2023	प्रिया गुर्जर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सह पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भतरपुर। 4. बीसीएमओ., बयाना, जिला भरतपुर। 5. प्रभारी, पीएचसी, सिंघाडा, बयाना, भतरपुर।	श्री अशोक बंसल
17.	1611/2023	अनीता भास्कर	1. राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू। 4. वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।	श्री संदीप गरसा
18.	1679/2023	मणी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एवं अति. निदेशक (प्रशा.) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू। 5. सुनीता, एएनएम, पीएचसी, काजडा, ब्लॉक सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।	श्री विजय पूनिया

आदेश की दिनांक : 05.07.2023

उपस्थित :-

प्रत्यर्थांगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1591/2023 मनीषा देवी बनाम राजस्थान राज्य जरिये (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. अपीलार्थी का कथन है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2023 (अनुलग्नक-1) जारी किया गया है, जिसमें सभी कार्मिक जिनका वेतन मूल पदस्थापन संस्थान से आहरित नहीं हो रहा है उन सभी कर्मचारियों को अधिशेष मानते हुए तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त आदेश दिनांक 20.06.2023 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 20.06.2023 व कार्यमुक्ति आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अधिशेष मानते हुए कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गए हैं, जबकि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग ने आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक प्रकृति के स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के पश्चात ही की जा सकेंगे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को एपीओ किया जाना अपीलार्थी के स्थानांतरण की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण एपीओ के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रतिबंधित है। इस प्रकार अपीलार्थी को एपीओ किया जाना नियम विरुद्ध है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उक्त अपील में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक था। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है न कि अधिशेष कार्मिक को अन्य रिक्त पदस्थापन स्थान देने पर रोक लगाई है। अति. मुख्य सचिव के आदेशों की पालना में चिकित्सा संस्थान में कोई अधिशेष कार्मिक नहीं रहे एवं आई.एफ.एम.एस. में पदों की मेपिंग हो सके इस हेतु अधिशेष कार्मिकों को अन्य रिक्त पद पर लगाये जाने हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु लगाने के निर्देश दिये जिसकी पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया।
4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया।
5. वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करने की दृष्टि से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जा रहा है, इसी दृष्टि से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। स्थानांतरण में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा स्थानांतरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध वर्तमान में लागू है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध लागू होने

के बाद भी किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।

6. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए ऊपर वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के संबंध में जारी कार्यमुक्ति आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार एवं राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से अपीलार्थीगण का स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
7. उपरोक्त आदेश के साथ समस्त अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
8. मूल आदेश अपील संख्या 1591/2023 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में सलंगन की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)